रजिस्ट्री सं. डी एल.-33004/92

REGD. No. D. L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 1992/कार्तिक 7, 1914
No. 428] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 1992/KARTIKA 7, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1992

सा.का.नि. 935(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूरदर्शन महानिदेशक के कार्यालय में हिन्दी अधिकारी (समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरदर्शन महानिदेशक का कार्यालय, हिन्दी अधिकारी (समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय) भर्ती नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
हिन्दी अधिकारी	12* (1992) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अननुसचिवीय, राजपत्रित	2000-60-2300-द रो -75-3200-100-3500 रु	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
(1) 33⅓ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा। (2) 66⅔ प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति दूरदर्शन के प्रशासनस्थ कार्यालयों में ऐसे हिन्दी अनुवादक (कनिष्ठ) (1400-2300 रु) जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी (क)(1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (2) जिन्होंने 1640--2900 रुपये के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, या

11	12
	(क) जिन्होंने 1400—2300/2600 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है — (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री या समतुल्य, या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य, या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी विषयों के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य, या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से और डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य, या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य । (2) हिन्दी में शब्दावली कार्य का या अंग्रेजी से हिन्दी में अथवा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का पांच वर्ष का अनुभव जिसमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमानता दी जाएगी । या हिन्दी में अध्यापन, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता का पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (1) संस्कृत या किसी आधुनिक भारतीय भाषा (हिन्दी से भिन्न) का ज्ञान । (2) प्रशासनिक अनुभव, और (3) टिप्पण और प्रारूपण में संबंधित हिन्दी कक्षाएं या कार्यशालाएं आयोजित करने का अनुभव । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति 1 उप-महानिदेशक, प्रशासन दूरदर्शन महानिदेशालय—अध्यक्ष 2 उप-महानिदेशक (कार्यक्रम) दूरदर्शन महानिदेशालय—सदस्य 3 उप सचिव, राजभाषा विभाग—सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के उपबंधों के अनुसार ।

[सं. 501/1/88—टी वी (ए)]

का. म. वरदन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 1992

G.S.R. 835(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hindi Officer (Group 'B' Gazetted Non-Ministerial) in the Office of Director General, Doordarshan.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Director General Doordarshan, Hindi Officer (Group 'B' Gazetted Non-Miniserial) Recruitment Rule, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit, qualification etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, have entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Pubic Service Commissions, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessios required to be provided for the Schedule Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment rule for the post of Hindi Officer in the Office of the Director General, Doordarshan in the Ministry of Information & Broadcasting.

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
Hindi Officer	12* (1992) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Ministerial Gazetted.	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500

Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of services admissible under rule 30 of the CCS(Pension) Rules, 1972	Educational & other qualification required for direct recruits
5	6	7	8
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct rectt. by promotion/deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
9	10	11
Not applicable.	Two Years	(i) 33 1/3% by promotion failing which by transfer on deputation. (ii) 66 2/3% by transfer on deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Promotion : Hindi translator (Junior) in the subordinate offices of Doordarshan (Rs. 1400-2300) with eight years regular service in the grade. (ii) Transfer on deputation : Offices of the Central Government/State Governments/Union Territories . (a)(i) holding analogus posts on regular basis; or (ii) with three yars regular service in posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent or (iii) with eight years regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2300/2600 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience : (i) Master's degree of a recognised University or equiualent in Hindi with English as a subject at the degree. level; or Master's degree of a recognised University or equivalent in English with Hindi as a subject at degree level; or Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi & Engish as subjects at degree level. OR Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at the degree level. OR Master's degree of a recognised Univrsity or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at the degree level.	Group 'B' : DPC for considering promotion and Confirmation : 1. Deputy Director General of Administration; Directorate General Doordarshan — Chairman 2. Deputy Director General (Programme) Directorate General Doordarshan —Member. 3. Dy. Secretary. Department of Official Language — Member.	According to provisions of UPSC (exemption from consultation) Regulations 1958

12	13	14
(ii) Five years experience of terminology work in Hindi or translation work from English to Hindi or vice versa. Preferbly of technical or scientific literature OR Five years experience of teaching research, writing or Journlism in Hindi. Desirable : (i) Knowlede of Sanskrit or a modern Indian Language (other than Hindi). (ii) Administrative experience (iii) Experience of organising Hindi classe or workshops for noting and drafting. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promoton. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		

[No. 501/1/88-TV(A)]
K. A. VARADAN, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992